तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आवास फाईनेंसियर्स लि./श्री मदनलाल आदि किस्म मुकदमा विविध (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट) मुकदमा संख्या 05/19 श्री धर्मेन्द्र रंगा एड श्री रजाक अली एड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश

21.01.19

1. पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

2. प्रार्थी (कंपनी) के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त अनवादी प्रकरण में The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। ऋणी को बैंक द्वारा ऋण दिया गया है, यह स्वीकृत तथ्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुलिस ईमदाद के आदेश प्रदान किये जावे।

3. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि कंपनी द्वारा दिनांक 10.10.17 को अप्रार्थी को धारा 13(2) का नोटिस दिया गया जबकि इससे पूर्व ऋणी मदनलाल का दिनांक 11.03.17 को निधन हो चुका था। ऋणी की मृत्यु के पश्चात ऋणी के पुत्र की दिनांक 27.04.17 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक अन्य पुत्र की भी दुर्घटना हो गई जो काफी अर्से से कोमा में है। नियमानुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। प्रार्थी कंपनी द्वारा मृतक ऋणी के किसी भी वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. रिबटल में प्रार्थी कंपनी के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि मृत ऋणी व उसके वारिसान के संबंध में उनको जानकारी नहीं है। अतः माननीय अदालत जैसा उचित समझे आदेश फरमावे।

5. हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा मृतक ऋणी स्व. श्री मदनलाल व उनके पुत्र स्व. श्री दिलीप के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जैर पत्रावली में जारी नोटिसेज पर भी इस आशय की रिपोर्ट आयी है कि प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर मृतक के जायज वारिसान अंकित नहीं हुए हैं। विद्वान वकील प्रार्थी को मृतक ऋणी के जायज वारिसान के संबंध में जानकारी नहीं है। इन परिस्थितियों में मृतक के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी कंपनी मृतक ऋणी के जायज वारिसान के नाम पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

7 आदेश आज दिनांक 21.01.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो व वाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner